

न्यायालय— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर—खीरी।

राज्य

बनाम

रामसिंह आदि

आदेश

अभियुक्तगण रामबेटी, ऊषा देवी की ओर से मु०अ०सं० 835/18 धारा 323,506 भा०दं०सं० थाना कोतवाली सदर जिला खीरी में जमानत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया।

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है,। केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्तगण में से प्रत्येक द्वारा मु० 20,000—20,000/—रु० का स्वबन्ध—पत्र एवं समान धनराशि की दो—दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

सी०जे०एम०

खीरी।

18—7—2019